संख्या-88/2015/2503/26-3-2015-10(14)/2012

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 27 अगस्त, 2015

विषयः-चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में ग्राम हाजीपुर, विकासखण्ड महमूदाबाद जनपद सीतापुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण हेतु पुनरीक्षित धनराशि स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2006/26-ब.प्र.-2014-10(14)/2012 दिनांक 02.12.2014 के क्रम में आपके पत्र सॅख्या-573/स.क./विकास/2014-15/ए.टी.एस.हाजीपुर(204) दिनांक 30.07.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम हाजीपुर, विकासखण्ड महमूदाबाद जनपद सीतापुर में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के भवन निर्माण हेतु मूल आगणन रूपया-947.87 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत रूपया-1121.17 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा पुनरीक्षित अनुमोदित लागत के सापेक्ष अन्तर के रूप में धनराशि रूपया-173.30 लाख (रूपये एक करोड़ तिहत्तर लाख तीस हजार मात्र) अवशेष है। 5 प्रतिशत की धनराशि रूपया-56.06 लाख की धनराशि को रोकते हुये शेष अन्तर की धनराशि रूपया-117.24 लाख (रूप्या-एक करोड़ सत्रह लाख चैबिस हजार मात्र) व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात की कार्य कराया जाय।

(2) कार्य की गुणतत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आपकी होगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुये व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) वित्त बजट अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक-30.03.2015 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नही की गयी है।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व आपका होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाय।

(8) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेक्स चार्ज ही लिया जायेगा।

(9) आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(10) वित्त विभाग द्वारा धनराशि/वित्तीय स्वीकृति/आहरण के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत कार्यालय ज्ञापों के प्राविधानों का भी यथा अनुमन्य अनुपालन किया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान सं0-83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 07-राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च, 2015 में दिये गये निर्देशों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

संख्या-88/2015/2503(1)/26-3-2015 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी )प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2-हालेखाकार,(लेखा परीक्षा )प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3-कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट कैसरबाग, लखनऊ।
4-जिलाधिकारी, सीतापुर ।
5-जिला समाज कल्याण अधिकारी, सीतापुर ।
6-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
7-प्रबंध निदेशक, यू0पी0स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलमेन्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8-निदेशक, एन0आई0सी0।
9-सलाहकार, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
10-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।